न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/54

1. कमल उर्फ कमलेश पुत्र मोती जाति बैरवा निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. कमला पुत्री मोती पत्नी गिरिराज जाति बैरवा निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी बलदेवपुरा जिला बून्दी ।
3. गोपाल पुत्र गंगल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. जगदीश पुत्र गंगल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. धन्ना लाल पुत्र मोती जाति बैरवा निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी।
6. ममता पुत्री मोती पत्नी कैलाश जाति बैरवा निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ताकला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. रघुवीर पुत्र मोती जाति बैरवा निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
8. रामकरण पुत्र गंगल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
9. सन्तरा पुत्री मोती पत्नी रामधन जाति बैरवा निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम भवानीपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. सम्पत पत्नी मोती जाति बैरवा निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
11. हेमराज पुत्र धूल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामकरण पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामकिशन पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. प्रेम पुत्री धूल्या पत्नी दुर्गालाल जाति बैरवा निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी हाल निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. गंगला पुत्र धूल्या जाति बैरवा निवासी ग्राम सीसोला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. भू–स्वामी जरिये तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हेमेन्द्र आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय दिनांकः 07.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 08.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सीसोला तहसील नैनवा में प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की आराजी खाता संख्या 196 में खसरा नम्बर 1134 रकबा 0.4611 हैक्टर, खसरा नम्बर 1139 रकबा 0.3155 हैक्टर, खसरा नम्बर 1140 रकबा 0.3560 हैक्टर, खसरा नम्बर 1141 रकबा 0.0485 हैक्टर, खसरा नम्बर 1142 रकबा 0.3721 हैक्टर, खसरा नम्बर 1143 रकबा 0.2427 हैक्टर, खसरा नम्बर 1144 रकबा 0.4207 हैक्टर कुल किता 07 रकबा 2.2166 हैक्टर भूमि स्थित है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित प्रार्थीगण के खाते की भूमि खसरा नम्बर 1142, 1143, 1144 पर आने–जाने के लिए 12 फीट चौडा रास्ता ग्राम सीसोला से महावीरपुरा जाने वाले ग्रेवल रोड से उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 1124 व 1125 के मध्य की मेर पर होकर आगे खसरा नम्बर 1126 में होकर खसरा नम्बर 1148 की पूर्वी मेर के सहारे होकर खसरा नम्बर 1144 पर पहुंचता है जिसे परिशिष्ट "क" में लाल रंग से दर्शाया गया है । प्रार्थीगण वर्षो से इसी रास्ते में होकर अपने खाते की भूमि पर आते–जाते हैं । इस रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि पर आने–जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि आने–जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट "क" में लाल रंग से दर्शाये गये स्थान पर 12 फीट चौडा रास्ता कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे ।

4. परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट सीसोला में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 08.10.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट "क" में लाल रंग से दर्शाये गये अनुसार नया रास्ता कायम करने तथा डीएलसी दर से दोगुनी राशि प्रतिकर के रूप में राजकोष में जमा कराने पर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 5 एवं 8 लगायत 13 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई के अधिकार से वंचित करते हुए पूर्णतया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हुए लोक अदालत में बिना पक्षकारान की सहमति के निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली पक्षकारान के वकालतनामा पेश करने एवं जवाब में नियत थी परन्तु परीक्षण न्यायालय ने इसे प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट सीसोला में ले जाकर एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलधीन निर्णय अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में पारित

किया है जिसकी अपीलान्टगण को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली वकालतनामा पेश करने एंव जवाब में लम्बित थी जिसे प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट ले जाकर निर्णित कर दिया । उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्राप्त होते ही अपीलान्टगण ने दिनांक 10.11.2021 को जरिये अभिभाषक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया था परन्तु 12. फरवरी, 2022 को नकल दी गई । नकल प्राप्त होते ही अपीलान्टगण ने अपने अभिभाषक महोदय से सम्पर्क कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 01 व 02 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने खातेदारी की भूमि पर पहुंचने हेतु नया रास्ता कायम करने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलान्ट जरिये अभिभाषक परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुए और वकालतनामा पेश करने के लिए समय मांगा गया था । परीक्षण न्यायालय में पत्रावली वास्ते वकालतनामा पेश करने एवं जवाब में नियत थी परन्तु परीक्षण न्यायालय ने उक्त पत्रावली को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट में ले जाकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2022 (1) पेज 558, आरआरटी 2022 (1) पेज 196, आरआरटी 2022 (1) पेज 693, आरआरटी 2022 (1) पेज 184 उद्वरत की ।

9. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय लोक अदालत की भावना से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि अपीलाधीन निर्णय प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि उनके खातेदारी की कृषि भूमि पर आने–जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट "क" में लाल रंग से दर्शाये गये अनुसार रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया जावे । परीक्षण न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे परीक्षण न्यायालय में दिनांक 05.08.2021 को दर्ज रजिस्टर करते हुए पक्षकारान की तलबी हेतु आगामी पेशी दिनांक 10.11.2021 नियत की थी, परन्तु उससे पूर्व ही दिनांक 08.10.2021 को प्रशासन गॉवों के संग अभियान में कैम्प कोर्ट सीसोला में रखते हुए अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । कैम्प कोर्ट में प्रार्थीगण की उपस्थिति के ही हस्ताक्षर हैं इसके अलावा अन्य किसी पक्षकार की उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं हैं । पत्रावली की आदेशिका पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे साबित हो कि परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखने से पूर्व पक्षकारान को सूचित किया हो । सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । मौका रिपोर्ट में भी गवाहान एवं अपीलान्ट/अप्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं हैं । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि मेरी भूमि पडत पडी हुई है इस पर आने–जाने का कोई रास्ता नहीं है । हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत हैं कि प्रकरण का त्वरित निस्तारण होना चाहिए उनकी भूमि पडत पडी हुई है । राजस्थान काश्तकारी नियम 69 (ii) में प्रावधान है कि आवेदन की तिथि से 90 दिवस के अन्दर उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवेदन पर निर्णय लिया जावेगा । इस दृष्टि से परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.10.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से पत्रावली प्राप्ति के 60 दिवस में अन्दर गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 07.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा